

फरवरी 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **वर्तित:**
 - अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25
- **कानून एवं न्याय:**
 - चुनावी बॉण्ड योजना
 - जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन वधियक
 - अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची को संशोधित करने वाला वधियक पारित
 - वधि आयोग ने वभिन्न वषियों पर रपिर्ट प्रस्तुत की
 - उत्तर-पूरव भारत में न्यायिक अवसंरचना पर रपिर्ट
 - कानूनी शक्ति को मज़बूत करने हेतु रपिर्ट
- **पर्यावरण:**
 - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) संशोधन वधियक, 2024
- **शक्ति:**
 - सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी वधियक
 - सनातक छात्रों हेतु इंटरनशिप के लिये दशा-नरिदेश जारी
 - भ्रामक कोचिंग वजिापनों की रोकथाम हेतु दशा-नरिदेशों
- **वाणजिय:**
 - अंतरिक्ष क्षेत्र में FDI नीति में संशोधनों को मंजूरी
 - नरियात बढ़ाने और आयात को कम करने की रणनीति पर रपिर्ट
- **कृषि:**
 - मत्स्य पालन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना
 - मत्स्य पालन की रोजगार और राजस्व अर्जन क्षमता पर प्रस्तुत रपिर्ट
 - जलवायु अनुकूल कृषि पर अपनी रपिर्ट
 - कपास क्षेत्र के विकास पर प्रस्तुत रपिर्ट
- **सूचना प्रौद्योगिकी:**
 - IT संशोधन नयियों के तहत गृह सचिव से अवरोधन के रिकॉर्ड नष्ट करना अपेक्षित
- **सवासथय:**
 - सरोगेसी नयियों में संशोधन
 - भारत में चकितिसा शक्ति की गुणवत्ता पर रपिर्ट
 - चकितिसा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने पर रपिर्ट
 - राष्ट्रीय आयुष मशिन
- **ऊर्जा:**
 - एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सस्टिम लगाने की योजना को मंजूरी
 - वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नयिम, 2020
 - अक्षय ऊर्जा के लिये टैरिफ नरिधारण का मसौदा वनियिम
- **उपभोक्ता मामले:**
 - ड्राफ्ट ग्रीनवॉशिंग दशा-नरिदेश
- **सूचना एवं प्रसारण**
 - ड्राफ्ट सनिमैटोग्राफ प्रमाणन नयिम
 - भारत में केबल टेलीवज़िन के वनियिमन पर रपिर्ट
- **खान:**
 - अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट पर मसौदा नयियों पर टपिपणियाँ
- **परविहन:**
 - राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन और रखरखाव पर रपिर्ट
 - जहाज़ नरिमाण उद्योगों की स्थिति पर रपिर्ट

- **आवासन एवं शहरी मामले**
 - स्मार्ट सर्टिफिकेट पर रपॉर्ट
- **ग्रामीण विकास:**
 - मनरेगा के कामकाज पर रपॉर्ट
- **जल संसाधन:**
 - दिल्ली में यमुना नदी सफाई परियोजनाओं की समीक्षा पर रपॉर्ट

वित्त

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25

वित्त मंत्री ने [अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25](#) को प्रस्तुत किया।

बजट की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **व्यय:** सरकार ने 2024-25 में 47,65,768 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा है, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान (44,90,486 करोड़ रुपए) से 6.1% अधिक है।
- **प्राप्तियाँ:** 2024-25 में प्राप्तियाँ (उधारियों के अलावा) 30,80,274 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जिसमें 2023-24 के संशोधित अनुमान (27,55,713 करोड़ रुपए) की तुलना में 11.8% की वृद्धि है।
- **GDP वृद्धि:** 2024-25 में नॉमिनल GDP वृद्धि दर 10.5% अनुमानित की गई है (यानी मुद्रास्फीति के लिये समायोजित नहीं)।
- **घाटा:** 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP के 5.1% पर लक्षित है, जो 2023-24 में GDP के 5.8% के संशोधित अनुमान से कम है। 2024-25 में राजस्व घाटा GDP के 2% पर लक्षित है, जो 2023-24 में GDP के 2.8% के संशोधित अनुमान से कम है।
- **कर प्रस्ताव:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया गया है।
- **नीतिगत प्रस्ताव:** पी.एम. आवास योजना के तहत अगले पाँच वर्षों में अतिरिक्त दो करोड़ घर बनाए जाएँगे। साथ ही एक करोड़ घरों की छत पर सोलरराइजेशन किया जाएगा।
- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिये नज़्दी संस्थाओं को कम या शून्य ब्याज दरों पर दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। ऋण एक लाख करोड़ रुपए के कोष (सरकार द्वारा स्थापित) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

कानून एवं न्याय

चुनावी बॉण्ड योजना

वित्त अधिनियम, 2017 के माध्यम से शुरू की गई [चुनावी बॉण्ड योजना](#) को सर्वोच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने असंवैधानिक माना था।

- चुनावी बॉण्ड एक उपकरण है जिसका उपयोग किसी राजनीतिक दल को चंदा देने हेतु किया जा सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी चुनावी बॉण्ड खरीदने के लिये पात्र है।
- न्यायालय ने पाया कि चुनावी बॉण्ड मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देना मनमाना है तथा कानून के समक्ष समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
- **सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India- SBI) को चुनावी बॉण्ड जारी न करने का भी निर्देश दिया।** SBI को उन राजनीतिक दलों का वविरण जमा करने का भी निर्देश दिया गया है जिन्होंने 12 अप्रैल, 2019 से इन बॉण्डों के माध्यम से आर्थिक योगदान प्राप्त किया है। SBI को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड का वविरण 6 मार्च, 2024 तक [भारतीय नरिवाचन आयोग](#) (Election Commission of India- ECI) को देना होगा।

जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकाय कानूनों में संशोधन वधियक:

- **जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) वधियक, 2024** को संसद में पारित किया गया। वधियक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों पर लागू होने वाले तीन कानूनों में संशोधन करता है।

ये कानून हैं:

- जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989
- जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000
- जम्मू-कश्मीर नगर नगिम अधिनियम, 2000।

मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अन्य पछिड़ा वर्गों (OBC) के लिये आरक्षण:** तीनों कानूनों के तहत, जम्मू-कश्मीर में कुछ संस्थानों में सीटें [अनुसूचित जाति और अनुसूचित](#)

जनजाति के लिये आरक्षण हैं। ये संस्थाएँ हैं:

- पंचायतें।
- नगर पालिकाएँ।
- नगर नगिम।
- ब्लॉक विकास परिषदें।
- ज़िला विकास परिषदें।

- **राज्य नरिवाचन आयोग के कार्य:** वर्तमान में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के तहत, जम्मू-कश्मीर में राज्य नरिवाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषदों एवं ज़िला विकास परिषदों के लिये चुनाव आयोजित करता है। नगर पालिकाओं और नगर नगिमों के मामले में इन ज़मिमेदारियों का नरिवहन मुख्य नरिवाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। वधियक इन संस्थाओं की चुनाव-संबंधी ज़मिमेदारियों को राज्य चुनाव आयोग को नरिदषिट करता है।
- **राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना:** वधियक में प्रस्ताव है कि राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार और प्रक्रिया पर आधारित होगा, जो जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन करता है।

अनुसूचति जातियों और जनजातियों की सूची को संशोधति करने वाला वधियक पारति:

संवधान (अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात) आदेश (संशोधन) वधियक, 2024 व संवधान (अनुसूचति जनजात) आदेश (संशोधन) वधियक, 2024 को संसद में पारति किया गया। वधियक ओडशा और आंध्र प्रदेश के संबंध में संवधान (अनुसूचति जात) आदेश, 1950 व संवधान (अनुसूचति जनजात) आदेश, 1950 में संशोधन करते हैं।

- अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल समुदाय: वधियक नमिनलखिति समुदायों को ओडशा की अनुसूचति जनजातियों की सूची में शामिल करता है:
 - मुका डोरा, मूका डोरा, नुका डोरा, नूका डोरा (कोरापुट, नौरंगपुर, रायगढ़ा और मलकानगरी ज़िलों हेतु)
 - कोंडा रेडडी (Konda Reddy), कोंडा रेडडी (Konda Reddi)।
- **आंध्र प्रदेश में अनुसूचति जनजातियाँ:** वधियक आंध्र प्रदेश में अनुसूचति जनजातियों की सूची में नमिनलखिति को शामिल करता है:
 - बोंडो पोरजा
 - खोंड पोरजा
 - कोंडा सवारस

वधिआयोग ने वभिन्न वषियों पर रपिर्ट प्रस्तुत की-

- **भारत के वधिआयोग ने नमिनलखिति वषियों पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की:**
 - 'आपराधकि मानहाना पर कानून',
 - 'महामारी रोग अधिनियम, 1897 की व्यापक समीक्षा',
 - 'गैर-नवासी भारतीयों और भारत के प्रवासी नागरिकों के वैवाहकि मुद्दों से संबंधति कानून'।

आयोग के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **आपराधकि मानहाना:** आयोग ने कहा कि प्रतषिठा का अधिकार किसी व्यक्ती के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। अभवि्यक्ती की स्वतंत्रता के अधिकार को खतरे में नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार, आपराधकि मानहाना एक सुरक्षा है जिसका लाभ किसी की प्रतषिठा को नुकसान पहुँचने पर प्राप्त किया जा सकता है और इसे अभवि्यक्ती की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिये। आयोग ने आपराधकि मानहाना को देश के आपराधकि कानूनों के भीतर बनाए रखने का सुझाव दिया।
- **महामारी रोग अधिनियम:** आयोग ने **महामारी रोग अधिनियम, 1897** में कई त्रुटियाँ देखीं।

इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

- महामारी की परिभाषा का अभाव।
- आउटब्रेक, एपिडमिक और पैडमिक के बीच कोई अंतर नहीं।
- आइसोलेशन, क्वारंटाइन और रोग नगरानी के लिये दशा-नरिदेशों की कमी।
- महामारी को नरितरति करने के लिये केंद्र, राज्य और स्थानीय नकियायों के बीच शक्तियों का अस्पष्ट वतिरण।
- **NRI और OCI से संबंधति वैवाहकि मुद्दे:** आयोग ने **गैर-नवासी भारतीय** (Non Resident Indian- NRI) पतियों द्वारा अपनी भारतीय पत्नियों को छोड़ने का मुद्दा उठाया। उसने कहा कि NRI बलि में NRI की व्यापक परिभाषा नहीं दी गई है। इसके अलावा भारत में वविह संबंधी कानून न तो NRI जीवनसाथी के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और न ही उन्हें समन जारी करने का प्रावधान करते हैं। आयोग ने पर्यटन को छोड़कर, किसी भी उद्देश्य के लिये वदिश में रहने वाले भारतीय नागरिक के रूप में NRI को परिभाषित करने का सुझाव दिया। उसने NRI और OCI के वविह के अनविार्य पंजीकरण का सुझाव दिया। उसने NRI वधियक, 2019 के तहत तलाक और बच्चे के भरण-पोषण जैसे कुछ प्रावधानों को जोड़ने का सुझाव दिया। उसने 2019 के वधियक में संशोधन का सुझाव दिया ताकि वैवाहकि मामलों में NRI डफिॉल्टर के लिये न्यायालय में पेश होना अनविार्य किया जा सके।

उत्तर-पूर्व भारत में न्यायकि अवसंरचना पर रपिर्ट:

कार्मिक, लोक शकियात, कानून एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग समति ने 'भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में न्यायकि अवसंरचना' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।

1993-94 से अधीनस्थ न्यायपालिका अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) लागू की जा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों के लिये केंद्र योजना के तहत 90% योगदान वहन करता है।

समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- केंद्र प्रायोजित योजना के तहत धनराशि जारी करने के लिये नए दशा-नरिदेशों में आगे की कश्तें देने से पहले वतितरि धनराशि का कम-से-कम 75% उपयोग शामिल है।
- समिति ने कहा कि संशोधित मानदंडों का पालन करने में वफिलता के कारण मज़ोरम, नगालैंड और त्रपुरा को 2022-23 में कोई धनराशि जारी नहीं की गई।
- समिति ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों को कई भौगोलिक और ढाँचागत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे सामग्री की आवाजाही मुश्कलि हो जाती है।
- समिति ने यह भी कहा कि कुछ पूर्वोत्तर राज्य अपनी ओर से परयोजना नधिका 10% योगदान करने में असमर्थ हैं। उसने न्याय वभिग को ऐसे राज्यों को धन का आवंटन बढ़ाने पर वचिार करने का सुझाव दिया।

कानूनी शकिषा को मज़बूत करने हेतु रपौरट:

कार्मकि, लोक शकायत, कानून एवं न्याय संबन्धी स्थायी समिति ने 'कानूनी पेशे के समक्ष उभरती चुनौतियों के मद्देनज़र कानूनी शकिषा की मज़बूती' पर अपनी रपौरट सौपी।

- अधविकृता अधनियिम, 1961 के अनुसार, बार काउंसलि ऑफ इंडिया नमिनलखिति के लिये ज़मिमेदार है:
- कानूनी शकिषा के मानकों को वनियिमति करना।
- कानून की डगिरी देने वाले वशिववदियालयों को मान्यता देना।
- इन वशिववदियालयों द्वारा नरिधारति मानकों के अनुपालन का नरीकषण करना।

कमटी के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- बार काउंसलि ऑफ इंडिया (BCI) की शक्तियाँ:
 - समिति ने कहा कि अधविकृता अधनियिम, 1961 न्यायालयों के लिये अधविकृता तैयार करने के एक संकीर्ण दृषटकिण के साथ पारति कया गया था। उसने कहा कि कानूनी शकिषा को न्यायालयी कर्षों से परे कानूनी प्रैक्टिस का आवशयक कौशल प्रदान कया जाना चाहयि। समिति ने सुझाव दिया कि BCI की शक्तियाँ बार में प्रैक्टिस की बुनयादी पात्रता को वनियिमति करने तक सीमति होनी चाहयि।
 - इससे परे कानूनी शकिषा का वनियिमन एक स्वतंत्र प्राधकिरण को सौपा जाना चाहयि। उसने सुझाव दिया कि भारत के प्रस्तावति उच्च शकिषा आयोग के तहत एक राष्ट्रीय कानूनी शकिषा और अनुसंधान परषिद की स्थापना की जाए।
 - उसने नमिन गुणवत्ता वाले लॉ कॉलेजों की वृद्धिको रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने का सुझाव दिया।
- एक समान पाठ्यक्रम: समिति ने कहा कि लॉ कॉलेजों और वशिववदियालयों के बीच पाठ्यक्रम में अंतर से असमानता उत्पन्न होती है। ये मतभेद लॉ कॉलेजों और वशिववदियालयों द्वारा जारी पाठ्यक्रम को अपनाने तथा BCI द्वारा नरिधारति पाठ्यक्रम को मंजूर न करने के कारण उत्पन्न होते हैं। समिति ने BCI की भूमिका को फरि से परभाषति करने तथा यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि BCI कॉलेजों और वशिववदियालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये एक समान पाठ्यक्रम नरिधारति करना। स्नातकोत्तर शकिषा के लिये प्रस्तावति स्वतंत्र प्राधकिरण द्वारा एक समान पाठ्यक्रम नरिधारति कया जाना चाहयि।

पर्यावरण

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) संशोधन वधियक, 2024

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) संशोधन वधियक, 2024 संसद में पारति कर दिया गया है। यह जल (प्रदूषण की रोकथाम और नयितरण) अधनियिम, 1974 में संशोधन करता है। यह अधनियिम जल प्रदूषण को रोकने और नयितरति करने के लिये केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नयितरण बोर्ड (CPCB और SPCB) की स्थापना करता है।

- वधियक कई उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है और इसके बदले जुरमाना लगाता है। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्रशासति प्रदेशों पर लागू होगा। दूसरे राज्य अपने यहाँ इसे लागू करने के लिये प्रस्ताव पारति कर सकते हैं।
- उद्योग स्थापति करने हेतु सहमति से छूट: अधनियिम के अनुसार, ऐसे कसि भी उद्योग या उपचार संयंत्र की स्थापना के लिये SPCB की पूर्व सहमति आवशयक है जिससे जलाशयों, सीवर या भूमि में सीवेज के बहने की आशंका हो। वधियक में नरिदिषिट कया गया है कि केंद्र सरकार, CPCB के परामर्श से, कुछ श्रेणियों के औद्योगिक संयंत्रों को ऐसी सहमति प्राप्त करने से छूट दे सकती है।
- अधनियिम के तहत CPCB से ऐसी सहमति प्राप्त कयि बिना उद्योग स्थापति तथा संचालति करना छह वर्ष तक की कैद और जुरमाने से दंडनीय है, और ये वधियक इसे बरकरार रखता है। वधियक उन नगिरानी उपायों से छेड़छाड़ को दंडनीय बनाता है जनिसे यह नरिधारति होता है कि कया कोई उद्योग या उपचार संयंत्र बिना सहमति के लगाया गया है। इसके लिये 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए के बीच जुरमाना देय होगा।
- प्रदूषति पदार्थ का नरिवहन: अधनियिम के तहत SPCB, ऐसी कसि भी गतविधि को तुरंत रोकने के लिये नरिदेश जारी कर सकता है जिससे जलाशयों में हानिकारक या प्रदूषणकारी पदार्थ नरिवहन होता हो। अधनियिम कुछ रयायतों के अतरिकित, जलाशयों में या भूमि पर प्रदूषणकारी पदार्थों से संबन्धति मानकों (SPCB द्वारा नरिधारति) के उल्लंघन पर भी रोक लगाता है। इस छूट में लैंड रीक्लेमेशन के लिये नदी तट पर गैर-प्रदूषति पदार्थों

को एकत्रित करना शामिल है। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर डेढ़ साल से छह साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वधियक सज़ा के प्रावधान को समाप्त करता है और इसके स्थान पर 10,000 रुपए से 15 लाख रुपए के बीच जुर्माना लगाता है।

शिक्षा

सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी वधियक

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) वधियक, 2024 को संसद में पारित कर दिया गया। वधियक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना है।

- सार्वजनिक परीक्षाओं का अर्थ, वधियक की अनुसूची के तहत नरिदष्टि अधिकारियों द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षाएँ हैं। इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
- संघ लोक सेवा आयोग।
- करमचारी चयन आयोग।
- रेलवे भरती बोर्ड।
- राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी।
- बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान।
- केंद्र सरकार के विभाग और भरती के लिये उनके संलग्न कार्यालय।

वधियक की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित अपराध:**
 - वधियक सार्वजनिक परीक्षाओं के संबंध में कई अपराधों को परिभाषित करता है। वधियक के तहत अनुचित साधन में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी तक अनाधिकृत पहुँच या उन्हें लीक करना।
 - सार्वजनिक परीक्षा के दौरान उम्मीदवार की मदद करना।
 - कंप्यूटर नेटवर्क या रिसोर्स के साथ छेड़छाड़।
 - मेरिट लिस्ट या रैंक को शॉर्टलिस्ट करने या अंतिम रूप देने के लिये डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना।
 - फर्जी परीक्षा आयोजित करना।
 - नकल करने या मौद्रिक लाभ के लिये फर्जी प्रवेश पत्र या ऑफर लेटर जारी करना।
 - उपर्युक्त अपराधों के लिये तीन से पाँच वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।
- सेवा प्रदाताओं की ज़िम्मेदारियाँ:** सेवा प्रदाताओं को वधियक के उल्लंघन की सूचना तुरंत पुलिस और संबंधित परीक्षा प्राधिकरण को देनी चाहिये, ऐसा करने में वफिलता एक अपराध है।

स्नातक छात्रों हेतु इंटरनशिप पर दशा-नरिदेश जारी:

- वशिवदियालय अनुदान आयोग (UGC) ने 'स्नातक वदियार्थियों के लिये इंटरनशिप/अनुसंधान इंटरनशिप हेतु दशा-नरिदेश' जारी किये हैं। दशा-नरिदेश आमतौर पर इंटरनशिप को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं: दशा-नरिदेशों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:
- HEI में अधिकारियों की ज़िम्मेदारियाँ:** दशा-नरिदेशों में उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions- HEI) को नमिनलखिति को नयिकृत करना होगा:
 - नोडल अधिकारी।
 - इंटरनशिप सुपरवाइज़र।
 - मेंटर।
- HEI में UGC द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज और वशिवदियालय शामिल हैं।
- प्रक्रिया: प्रत्येक HEI से एक इंटरनशिप पोर्टल संचालित करने की अपेक्षा की जाती है जो संगठनों, विशेषज्ञों और फ़ैकल्टी को पंजीकृत करता है। वदियार्थी पोर्टल के माध्यम से इंटरनशिप के लिये आवेदन कर सकते हैं। HEI को उन वदियार्थियों के लिये डिजिटल या सामूहिक रूप से इंटरनशिप प्रदान करनी चाहिये जो फ़िजिकल मोड में इंटरनशिप प्राप्त करने में वफिल रहते हैं। इंटरनशिप के पूरा होने पर वदियार्थियों का उनके इंटरनशिप सुपरवाइज़र द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा।
- क्रेडिट्स: उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) ऑनर्स के साथ तीन या चार वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम के लिये न्यूनतम दो से चार इंटरनशिप क्रेडिट अनिवार्य कर सकते हैं। चौथे सेमिस्टर में 60-120 घंटे की अवधि के लिये इंटरनशिप आयोजित की जानी चाहिये।

भ्रामक कोचिंग वजिजापनों की रोकथाम हेतु दशा-नरिदेशों

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण** ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक वजिजापनों की रोकथाम के लिये मसौदा दशा-नरिदेश जारी किये। दशा-नरिदेश [उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019](#) के तहत जारी किये गए हैं। कोचिंग का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाने वाली ट्यूशन, नरिदेश, शैक्षणिक सहायता या मार्गदर्शन से है।
- दशा-नरिदेश सभी वजिजापनों पर लागू होते हैं। दशानरिदेशों की मुख्य विशेषताएँ हैं:
- भ्रामक वजिजापन:** एक वजिजापन को भ्रामक माना जाएगा, अगर वह:

- महत्त्वपूर्ण जानकारी छुपाता है जो उपभोक्ता के सेवा को चुनने के नरिणय को प्रभावति कर सकता है, जैसे पाठ्यक्रम की अवधिया लागत ।
- एक प्रतयोगी परीक्षा में वदियार्थियों की सफलता दर या रैंकिंग के बारे में गलत दावे करता है ।
- गलत तरीके से यह कहता है कि वदियार्थियों की सफलता का मुख्य कारण कोचिंग है ।
- तात्कालिकता या चूक जाने के डर की झूठी भावना उत्पन्न करता है जो वदियार्थियों या अभिभावकों की चिंता में वृद्धि कर सकती है ।
- **दायतिव:** कोचिंग में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ती के कुछ दायतिव होंगे । इनमें प्रत्येक सफल उम्मीदवार की रैंक और पाठ्यक्रम का खुलासा करना, उपलब्ध सुवधियों और संसाधनों की सटीक जानकारी देना तथा सफलता की वधि धारणा बनाने के लिये असाधारण मामलों को चुनने से बचना शामिल है ।
- **प्रतबिंधति गतविधियाँ:** कोचिंग में लगे व्यक्तियों को सफल उम्मीदवारों के वविरण का उपयोग उनकी सहमति के बिना नहीं करना चाहिये । उन्हें नमिनलखिति गतविधियाँ भी नहीं करना चाहिये:
- अनुचति समीक्षाओं का उपयोग या 100% चयन या 100% नौकरी की गारंटी देने वाले झूठे दावे ।
- उपभोक्ताओं को यह वशिवास दलाना कि संस्थान में नामांकन कराने पर उन्हें रैंक, नौकरी, प्रवेश आदि की गारंटी मिलेगी ।
- फेकलेटी के करेडेंशियल्स के भ्रामक और अतरिजति दावे करना ।

वाणजिय

अंतरकिष क्षेत्र में FDI नीति में संशोधनों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने अंतरकिष क्षेत्र के लिये [प्रत्यक्ष वदिशी नविश \(FDI\)](#) नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी ।

- संशोधति नीति के अनुसार, सैटेलाइट नरिमाण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पाद, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिये स्वचालति मार्ग के तहत 74% तक FDI की अनुमति दी जाएगी ।
 - 74% से अधिक FDI सरकार की मंजूरी के अधीन होगा ।
- लॉन्च वाहनों के लिये स्वचालति मार्ग के तहत 49% तक FDI की अनुमति दी जाएगी
- स्पेसपोर्ट, जसिके आगे यह सरकार की मंजूरी के अधीन होगा ।
- उपग्रहों के लिये घटकों और प्रणालियों/उप-प्रणालियों के नरिमाण हेतु स्वचालति मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है ।

नरियात बढ़ाने और आयात को कम करने की रणनीति पर रिपोर्ट

वाणजिय संबंधी स्थायी समिति ने 'नरियात बढ़ाने और आयात कम करने के लिये प्रमुख उत्पादों तथा देशों को चहिनति करने की व्यापक रणनीति' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

समिति के प्रमुख नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **पेट्रोलियम उत्पादों का आयात:** भारत के कुल आयात के एक तहिई हिस्से में अपरषिकृत पेट्रोलियम, कोयला, कोक और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं । समिति ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से हाइड्रोकार्बन की खोज और निकासी को प्रोत्साहति करके, इनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है । पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को कम करने के लिये पारंपरिक ईंधन आधारति वाहनों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की ओर संक्रमण करना जरूरी है ।
- **इंजीनियरिंग नरियात:** भारत के कुल वस्तु नरियात में इंजीनियरिंग नरियात का हिस्सा 25% से अधिक है । वर्ष 2022-23 में भारत ने 107 बलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की इंजीनियरिंग वस्तुओं का नरियात किया । समिति ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ की टैरफि और नॉन-टैरफि बाधाएँ भारत के इंजीनियरिंग उत्पादों के नरियात की वृद्धि में रुकावट बन सकती हैं । इसमें यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (Carbon Border Adjustment Mechanism- CBAM) शामिल है जसिके कारण उर्वरक, एल्यूमीनियम और सीमेंट जैसे वभिनिन उत्पादों पर अतरिकृत आयात शुल्क लग सकता है । समिति ने कहा कि MSME क्षेत्र में भारतीय नरिमाताओं के पास ऐसे जरूरी वतितीय संसाधन न हों, जनिसे CBAM का मुकाबला किया जा सके । समिति ने सरकार को सुझाव दिया कि MSME क्षेत्र पर CBAM को लागू करने के लिये कम-से-कम तीन वर्ष का समय दिया जाए ।
- **नरियात उत्पादों पर शुल्क या कर में छूट (RoDTEP) योजना:** नरियात पर शुल्क छूट के लिये RoDTEP योजना जनवरी 2021 से लागू की जा रही है । यह उन करों, शुल्कों और लेवी की प्रतपूरति करता है जो कसिी दूसरे रफिंड मैकेनिज्म के दायरे में नहीं आते । समिति ने कहा कि योजना के तहत प्रदान की गई छूट की न्यूनतम दर भारतीय नरियात को अप्रतसिपर्द्धी बनाती है । उसने सुझाव दिया कि वभिनिन क्षेत्रों के लिये दरों की जाँच करने वाली RoDTEP समिति को अपनी रिपोर्ट जल्द देनी चाहिये । समिति ने योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया ।

कृषि

मत्स्य पालन हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य कसिन समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY) को मंजूरी दे दी है । यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना PM मत्स्य संपदा योजना के तहत उप-योजना है । नई योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को औपचारिक बनाना तथा छोटे और सूक्ष्म मत्स्य उद्यमों को सहयोग देना है ।

योजना के प्रमुख घटकों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्र का औपचारिकरण करना:** नई योजना मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य सहायक श्रमिकों के स्व-पंजीकरण के माध्यम से क्षेत्र को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का प्रयास करती है। पंजीकरण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जिसका उपयोग वित्तीय प्रोत्साहन वितरित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के लिये भी किया जाएगा।
- **जलीय कृषि बीमा को प्रोत्साहित करना:** एक बीमा उत्पाद बनाया जाएगा जो कम-से-कम एक लाख हेक्टेयर जलीय कृषि फार्मों को कवर करेगा। छोटे किसानों को बीमा खरीद पर एक लाख रुपए तक की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- **मूल्य शृंखला की क्षमता को सुधारना:** प्रदर्शन अनुदान के माध्यम से मूल्य शृंखला की क्षमता में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। इससे सूक्ष्म उद्यमों को उत्पादन, नौकरियों के सृजन और उनकी बहाली में पुनर्सहभागिता हेतु प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। सामान्य वर्ग के लिये प्रदर्शन अनुदान कुल नविश का 25% या 35 लाख रुपए, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा।
- **उत्पाद सुरक्षा और गुणवत्ता प्रणाली को अपनाना:** सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मछली एवं मत्स्य उत्पादों की मार्केटिंग में सुरक्षा तथा गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। इन मानकों को अपनाने के लिये ऐसा ही प्रदर्शन अनुदान प्रदान किया जाएगा।

मत्स्य पालन की रोजगार और राजस्व अर्जन क्षमता पर रपिपोर्ट प्रस्तुत

- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी संबंधी स्थायी समिति ने 'मत्स्य पालन क्षेत्र की रोजगार सृजन एवं राजस्व अर्जन क्षमता' पर अपनी रपिपोर्ट प्रस्तुत की।
- समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:
- **मत्स्य पालन में रोजगार सृजन:** समिति ने सुझाव दिया कि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिये नरियात, मछली पकड़ने के बाद प्रसंस्करण और आयात प्रतस्थापन जैसे क्षेत्रों में नविश बढ़ाया जाना चाहिये।
- **मत्स्य पालन उद्योग:** समिति ने इस क्षेत्र की विकास क्षमता और सरकारी राजस्व में इसके संभावित योगदान पर प्रकाश डाला तथा इसके महत्त्व के कारण एक समर्पित अनुसंधान परिषद के गठन की सफारिश की।

जलवायु अनुकूल कृषि पर अपनी रपिपोर्ट

कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति ने 'जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा' पर अपनी रपिपोर्ट प्रस्तुत की। जलवायु परिवर्तन फसलों की पैदावार और कृषि उत्पादकता को हानि पहुँचाता है। अगर जलवायु परिवर्तन को अपने अनुकूल करने के लिये संस्थागत और नीतिगत सहयोग प्रदान किया जाए तो उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है।

समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **फसल विविधीकरण:** समिति ने सुझाव दिया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसे प्राप्त करने के लिये किसानों को हर संभव सहायता प्रदान करना।
- **जल संरक्षण:** उसने सुझाव दिया कि ऐसे प्रणालियों का उपयोग किया जाना चाहिये जो सचिाई के समय को अनुकूलित करती हैं, जल संरक्षण करती हैं और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं।
- **संभावित प्रभाव और शमन के उपाय:** समिति ने सुझाव दिया कि किसानों को जलवायु और मौसम संबंधी विपदा से बचाने के लिये सभी जोखिम संभावित गाँवों में नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजलियंट एग्रीकल्चर (NICRA) योजना लागू की जानी चाहिये। NICRA एक ऐसी परियोजना है जिसे वर्ष 2011 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि के लचीलापन को बढ़ाना है।

कपास क्षेत्र के विकास पर रपिपोर्ट प्रस्तुत

श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति ने 'कपास क्षेत्र का विकास' पर अपनी रपिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **कपास की नमिन उत्पादकता:** भारत में कपास की उत्पादकता लगभग 447 कलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जो ब्राज़ील (1,830 कलोग्राम/हेक्टेयर) और संयुक्त राज्य अमेरिका (1,065 कलोग्राम/हेक्टेयर) जैसे अन्य कपास उत्पादक देशों की तुलना में काफी कम है। समिति ने ऐसे कई कारकों की पहचान की जो इष्टतम से कम उत्पादन का कारण बनते हैं। भारतीय कपास का लगभग 67% हसिसा वर्षा पर निर्भर है, जो इसे बार-बार मौसम परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। जनि क्षेत्रों में फसल की सचिाई की जाती है, वहाँ सचिाई नहर के पानी के छोड़े जाने पर निर्भर करती है, न कि फसल की ज़रूरत के अनुसार। समिति ने कपास के खेती क्षेत्र को अधिक मात्रा में सचिाई के अंतरगत लाने के लिये स्थायी कदम उठाने का सुझाव दिया और कहा कि सचिाई को धीरे-धीरे मांग आधारित बनाया जाना चाहिये।
- **बीजों की पुरानी कसिमों के कारण उत्पादकता में कमी:** समिति ने यह भी कहा कि उपयोग में आने वाली बीज तकनीक पुरानी हो चुकी है और नई कसिम के बीजों की तत्काल आवश्यकता है।
 - इसने सफारिश की कि मंत्रालय भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप शीघ्र परपिकव होने वाले और संकर बीजों के विकास को बढ़ाए।

सूचना प्रौद्योगिकी

IT संशोधन नियमों के तहत गृह सचिव से अवरोधन के रिकॉर्ड नष्ट करना अपेक्षित

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, नगिरानी तथा डकिरपिशन के लिये प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया।
- 2009 के नियमों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसी को प्रत्येक छह माह में डेटा के इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डकिरपिशन से संबंधित सभी रिकॉर्ड नष्ट करने होंगे।
- ऐसे कार्यों के लिये दिये गए नरिदेशों से संबंधित रिकॉर्ड भी नष्ट कर दिये जाने चाहिये। जब तक आवश्यक न हो या आवश्यकता होने की संभावना न हो, इन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर देना चाहिये। संशोधन में कहा गया है कि संबंधित प्राधिकारी (नियमों के तहत) को भी ऐसे रिकॉर्ड को नष्ट करना होगा।

ये संबंधित प्राधिकारी हैं:

- गृह मंत्रालय में सचिव (केंद्र सरकार के मामले में)
- गृह विभाग के प्रभारी सचिव (राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश के मामले में)।
- ये प्राधिकरण सरकार की ओर से अवरोधन, नगिरानी या डकिरपिशन की कार्रवाई को मंजूरी देते हैं।
- डजिटल भुगतान और ऑनलाइन सुरक्षा पर रपिर्ट
- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने 'डेटा सुरक्षा के लिये डजिटल भुगतान एवं ऑनलाइन सुरक्षा उपायों' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।
- समिति के प्रमुख नषिकर्ष और सुझाव इस प्रकार हैं:
- ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में वृद्धि:** समिति ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालय शामिल हों। उसने गृह मंत्रालय को एक नोडल एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हों।
- समिति ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें सभी संबंधित मंत्रालय शामिल हों। उसने गृह मंत्रालय को एक नोडल एजेंसी गठित करने का सुझाव दिया, जिसमें सभी संबंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हों।
- AePS-आधारित अपराध:** एक AePS ग्राहकों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके अपने आधार से जुड़े खातों से लेनदेन करने की सुविधा देता है। समिति ने कहा कि AePS के उपयोग से कर संबंधी धोखाधड़ी में वृद्धि हो रही है। गृह मंत्रालय ने कहा कि आधार का उपयोग करके बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को गलत साबित करने के लिये डमी या रबर उंगलियों का उपयोग किया जा रहा है।
- धन की वसूली:** इसने सफिराशि की कि गृह मंत्रालय पीड़ितों को रुकी हुई राशि वापस करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

स्वास्थ्य

सरोगेसी नियमों में संशोधन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सरोगेसी (वनिियमन) संशोधन नियम, 2024 जारी किये हैं। ये नए नियम सरोगेसी (वनिियमन) अधिनियम, 2021 के तहत जारी सरोगेसी (वनिियमन) नियम, 2022 में संशोधन करते हैं।

- 2022 के नियम सरोगेसी हेतु दाता युग्मकों के उपयोग को प्रतिबंधित करते थे। एक सगिल महिला (वधिया/तलाकशुदा) को सरोगेसी के लिये अपने एग्स का ही उपयोग करना होता है।
- अक्टूबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने दाता एग्स के उपयोग की अनुमति दे दी, अगर महिला अपने स्वयं के एग्स प्रॉड्यूस करने में सक्षम नहीं है।
- 2024 के नियम सरोगेसी में कुछ शर्तों के आधार पर दाता युग्मकों के उपयोग की अनुमति देते हैं। इनमें कहा गया है कि दाता युग्मकों के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है, अगर:
 - इच्छुक पति या पत्नी की कोई ऐसी मेडिकल स्थिति है, जिसके कारण सरोगेसी ज़रूरी हो जाती है,
 - सरोगेसी के माध्यम से पैदा होने वाला बच्चे में इच्छुक माता-पिता का कम-से-कम एक गैमेट ("युग्मक") है।
 - मेडिकल स्थिति का ज़िला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। एकल रूप से रह रही महिला की स्थिति अपरविरतनीय बनी रहेगी।

भारत में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर रपिर्ट

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने 'भारत में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता' पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।

स्थायी समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- सीमित सीटें:** सीटें अधिक संख्या में उपलब्ध हों, इसके लिये समिति ने नमिनलखिति सुझाव दिये:
 - ज़िला या रेफरल अस्पतालों से जुड़े मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का काम जारी रखना,
 - फ़ज़िकल इंफ़रास्ट्रक्चर पर अधिक बोझ डाले बिना, वदियार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिये ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को शुरू करना।
 - नए मेडिकल कॉलेजों को वार्षिक प्रवेश क्षमता 250 सीटों तक बढ़ाने की अनुमति देना
 - मेडिकल शिक्षा में नज़ी नविश को प्रोत्साहित करना।

- **मेडिकल कॉलेजों का असमान वितरण:** समिति ने कहा कि राज्यों में मेडिकल कॉलेजों के वितरण में व्यापक असंतुलन है। समिति ने ऐसे समान मानदंडों को संशोधित करने और कर्षेत्र-वशिष्ट दशा-नरिदेश एवं मानदंड तैयार करने का सुझाव दिया।
- **मेडिकल शिक्षा की लागत:** समिति ने परचालन लागत को कम करने हेतु छात्रों के लिये आवश्यकता-आधारित छात्रवृत्ति, मेडिकल कॉलेज चलाने वाले संगठनों के लिये कर रियायतें, नज़िी मेडिकल कॉलेजों और ज़िला अस्पतालों के बीच सहयोग एवं नज़िी मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशाला उपकरणों पर सबसिडी देने सहित उपाय सुझाए।

चकितिसा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने पर रपिीरट

रसायन और उरवरक संबंधी स्थायी समिति ने 'मेडिकल उपकरण उद्योग का संवरद्धन' पर अपनी रपिीरट प्रसुत की।

- समिति के प्रमुख नषिकर्ष और सुझाव इस प्रकार हैं:
- **चकितिसा उपकरण उद्योग के वकिसा में बाधाएँ:** चकितिसा उपकरणों की घरेलू वनिरिमाण फलिहाल उपभोग्य सामग्रियों, डसिपोज़ेबल और प्रतयारोपण जैसे नचिले स्तर से मध्यम स्तर के मेडिकल उपकरणों तक सीमित है। 70% उच्च-स्तरीय उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उन्नत सर्जिकल उपकरण और डायग्नोस्टिक उत्पाद आयात किये जाते हैं।
- समिति ने कहा कि फारमास्यूटिकल्स वभिाग द्वारा वर्ष 2015 से की गई पहल में अभी तक प्रगत नहीं हुई है। इसमें ब्याज सबसिडी, रियायती बजिली और सर्जिकल उपकरणों जैसे उपकरणों के लिये मूल्य नरियंत्रण जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं।
- **आयात पर नरिभरता:** समिति ने घरेलू मैन्यूफैक्चरर्स को प्रतसिप्रद्धात्मक लाभ प्रदान करने के लिये एक अंतर-मंत्रालयी और अंतर-सरकारी रणनीति तैयार करने का सुझाव दिया।
- **चकितिसा उपकरण पार्क:** मेडिकल उपकरण पार्क संवरद्धन योजना (Medical Devices Parks Scheme) के तहत चार राज्यों में चार मेडिकल उपकरण पार्क स्थापति किये जाएंगे। इन पार्कों में सामान्य परीक्षण सुवधाएँ और प्रयोगशालाएँ स्थापति होंगी। पहले चरण (2022-23) में आवंटित 120 करोड़ रुपए में से अब तक केवल 89 लाख रुपए खर्च किये गए हैं। समिति ने सुझाव दिया कि राज्य एजेंसियों के साथ नयिमति प्रगति नगिरानी की आवश्यकता है। उसने इस योजना को अन्य राज्यों में लागू करने का भी सुझाव दिया।

राष्ट्रीय आयुष मशिन

स्वास्थ्य और परवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने 'राष्ट्रीय आयुष मशिन की समीक्षा' पर अपनी रपिीरट प्रसुत की।

समिति के मुख्य नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **मशिन का कार्यानवयन:** समिति ने कहा कि मशिन के तहत स्वीकृत 69% से अधिक एकीकृत आयुष अस्पताल अभी भी नरिमाणाधीन हैं।
- समिति ने सुझाव दिया कि मशिन को 2024-25 से अगले पाँच वर्ष तक बढ़ाया जाए।
- उसने यह सुझाव भी दिया कि हिमालयी कर्षेत्रों में प्रचलित चकितिसा की पारंपरिक प्रणाली सोवा-रगिपा को मशिन में शामिल किया जाना चाहिये।
- **देरी के कारण:** मशिन के कार्यानवयन में देरी फंड आवंटन में देरी, प्रशासनिक कार्यों के ओवरलैप होने और उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करने में देरी के कारण होती है, समिति ने राज्य कार्य योजनाओं में बजट लाइन आइटम को सुव्यवस्थित करने तथा इकाई भूमिकाओं को स्पष्ट करने जैसे समाधान सुझाए हैं।

ऊरजा

एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर ससि्टम लगाने की योजना को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने पीएम-सूर्य घर: मुफ्त वदियुत योजना को मंजूरी दे दी।

- इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों में छत पर सौर प्रणाली की स्थापना करना है।
- यह योजना 2 किलोवाट क्षमता तक की स्थापना के लिये ससि्टम लागत के 60% मूल्य की वत्तिय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा 2 से 3 किलोवाट के बीच की क्षमता के लिये अतरिकित ससि्टम लागत का 40% प्रदान किया जाएगा।
- 3 किलोवाट क्षमता तक छत पर सौर प्रणाली स्थापति करने हेतु परवार लगभग 7% की ब्याज दर पर संपार्श्वकि-मुक्त ऋण के लिये भी पात्र होंगे।

वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नयिम, 2020

वदियुत मंत्रालय ने वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नयिम, 2024 को अधसूचिति किया है। नयिम वदियुत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नयिम, 2020 में संशोधन करते हैं, जो वदियुत उपभोक्ताओं के अधिकारों और दायत्वों को नरिदषिट करते हैं।

संशोधित नयिमों की मुख्य वशिषताओं में शामिल हैं:

- **कसिी इमारत हेतु एक कनेक्शन चुनने का वकिलप:** संशोधित नयिमों में कहा गया है कि अपार्टमेंट/फ्लैट/कॉलोनियों में रहने वाले ओनर प्रत्येक ओनर हेतु अलग-अलग कनेक्शन या पूरे परसिर के लिये एक कनेक्शन के बीच चुन सकते हैं।
- **छत पर सौर प्रणाली:** पहले, नयिमों के अनुसार 21 दिनों के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता होती थी, अब परयोजना को

व्यवहार्य मानते हुए परणामों की रिपोर्ट करने में वफाई के साथ 15 दिनों में संशोधन किया गया है; 10 किलोवाट से कम के सौर परणालियों को अध्ययन से छूट दी गई है और वितरण बुनियादी ढाँचे के अनुनयन की लागत डिस्कॉम द्वारा वहन की जाएगी।

- मीटर संबंधी शिकायतों के लिये प्रोटोकॉल: 2020 के नियमों में प्रावधान है कि डिस्कॉम को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर या राज्य आयोग द्वारा नरिदष्टि से कम दिनों के भीतर मीटर की टेस्टिंग करनी होगी। संशोधित नियम राज्य आयोग के स्व नरिणय की शक्ति को समाप्त करते हैं। अतः शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिये। संशोधित नियमों में यह भी कहा गया है कि मीटर रीडिंग वास्तविक बजिली खपत से भिन्न होने की शिकायत के मामले में पाँच दिनों के भीतर एक अतिरिक्त मीटर लगाया जाना चाहिये। अतिरिक्त मीटर कम-से-कम तीन माह के लिये लगाया जाना चाहिये।

अक्षय ऊर्जा के लिये टैरिफ नरिधारण का मसौदा वनियम

केंद्रीय वदियुत वनियमन आयोग ने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy- RE) स्रोतों से वदियुत की दर नरिधारित करने हेतु मसौदा नयिम जारी किये हैं।

मसौदा वनियम की मुख्य वशिषताओं में नमिन शामिल हैं:

- टैरिफ के प्रकार: लघु पनबजिली, नॉन-फॉसिल आधारित सह-उत्पादन, बायोगैस आधारित और मयुनसिपिल ठोस अपशिष्ट-आधारित बजिली परयोजनाओं जैसी आर.ई. परयोजनाओं के लिये एक सामान्य टैरिफ होगा। जेनेरकि टैरिफ CERC द्वारा प्रतविरष नरिधारित किया जाएगा। CERC सौर PV, फ्लोटिंग सौर परयोजनाओं, पवन ऊर्जा परयोजनाओं और अक्षय हाइड्रडि ऊर्जा परयोजनाओं जैसी परयोजनाओं के लिये एक परयोजना वशिषिट टैरिफ नरिधारित करेगा।
- टैरिफ की संरचना: उन परयोजनाओं के लिये जिनमें ईंधन लागत आधारित घटक हैं, एक नशिचित लागत और ईंधन लागत के साथ दो-घटक टैरिफ नरिधारित किया जाएगा।
- अतिरिक्त उत्पादन: अगर कोई आर.ई. परयोजना प्लांट लोड फैक्टर से अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो परयोजना अतिरिक्त ऊर्जा को किसी भी अन्य इकाई को बेच सकती है। लाभार्थी को इसे इनकार करने का पहला अधिकार होगा। अगर लाभार्थी अतिरिक्त ऊर्जा को करय करता है, तो टैरिफ उस वर्ष के लिये लागू टैरिफ के बराबर होगा।

उपभोक्ता मामले

ड्राफ्ट ग्रीनवॉशिंग दशिा-नरिदेश

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत ग्रीनवॉशिंग की रोकथाम और वनियमन के लिये मसौदा दशिा-नरिदेश जारी किये हैं।

मसौदा दशिा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखित शामिल हैं:

- ग्रीनवॉशिंग को प्रतबंधित किया जाए: दशिा-नरिदेश वजिजापन या संचार के लिये ग्रीनवॉशिंग में शामिल होने पर रोक लगाते हैं। यह सभी वजिजापनों, सेवा प्रदाताओं, उत्पाद वकिरेताओं, वजिजापनदाताओं, एंडोर्सर्स या वजिजापन एजेंसियों पर लागू होगा।
- पर्यावरणीय दावों की पुष्टि: किसी भी पर्यावरणीय दावे करते समय स्वच्छ, हरित, पर्यावरण-अनुकूल, क्रूरता मुक्त और कार्बन-तटस्थ जैसे सामान्य शब्दों का उपयोग पर्याप्त क्वालफायर्स एवं पुष्टि के बिना नहीं किया जाएगा। तकनीकी शब्दों को उपभोक्ता-अनुकूल भाषा में समझाया जाना चाहिये जो इसके अर्थ या नहितार्थ को स्पष्ट करता हो।
- प्रकटीकरण: सभी पर्यावरणीय दावे सटीक होने चाहिये और सभी प्रकार की भौतिक जानकारी का खुलासा करना चाहिये। खुलासे करते समय रसिर्च डेटा को चुनकर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिये। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या पर्यावरणीय दावा किसी वस्तु, वनिरिमाण की प्रकरिया, पैकेजिंग या सेवा को संदर्भित करता है।
- भविष्य से संबंधित दावे: आकांक्षी या भविष्यवादी पर्यावरणीय दावे केवल तभी किये जा सकते हैं जब स्पष्ट और कार्रवाई योग्य योजनाएँ वकिसति की गई हों। इन योजनाओं में यह वविरण होना चाहिये कि इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा।

सूचना एवं प्रसारण

ड्राफ्ट सनिमैटोग्राफ प्रमाणन नयिम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सनिमैटोग्राफ (प्रमाणन) नयिम, 2024 के मसौदे पर टपिपणयिँ आमंत्रित की हैं।

मुख्य वरिवरतनों में नमिनलखित शामिल हैं:

- UA प्रमाणीकरण: सनिमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2023 ने UA प्रमाणीकरण के लिये आयु उपयुक्तता का संकेत देने वाले नरिदेशक प्रसतुत किये।
- सामग्री हेतु अनुमोदन प्राधिकारी: प्रमाणन के लिये अनुमोदन प्राधिकारी सामग्री के प्रकार और लंबाई के आधार पर अलग-अलग होंगे।
- बोर्ड में महिलाओं का प्रतनिधित्व: मसौदा नयिमों में नरिदष्टि किया गया है कि बोर्ड और सलाहकार पैनल के एक तहिाई सदस्य महिलाएँ होनी चाहिये।

- प्रमाणन के लिये विशेषज्ञों को आमंत्रित करना: मसौदा नियम क्षेत्रीय अधिकारी को किसी फिल्म की जाँच के लिये फिल्म के क्षेत्र में एक या अधिक विशेषज्ञ या भाषा विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं।

भारत में केबल टेलीविज़न के वनियमन पर रिपोर्ट

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति ने 'भारत में केबल टेलीविज़न के वनियमन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- केबल टेलीविज़न का वनियमन:** केबल टेलीविज़न को मुख्य रूप से केबल टेलीविज़न नेटवर्क (वनियमन) अधिनियम 1995 के द्वारा वनियमन किया जाता है। हालाँकि, कई ऐसे नियमक हैं जिन्होंने वभिन्न पहलुओं पर अपने स्वयं के नियम और दशा-नरिदेश जारी किये हैं। इससे विविध प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध सामग्री में असमानता हो जाती है।
- ओवर द टॉप (Over The Top- OTT) प्लेटफॉर्म जैसी सेवाओं को इस अधिनियम के तहत वनियमन नहीं किया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नियमों द्वारा वनियमन किया जाता है। समिति ने कहा कि केबल टेलीविज़न उद्योग को एक व्यापक कानून के द्वारा वनियमन करने की आवश्यकता है।
- मंत्रालय के सामने आने वाली बाधाएँ और चुनौतियाँ:** सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामने आने वाली चुनौतियों में नमिनलखिति शामिल हैं:
 - केबल ऑपरेटरों द्वारा ग्राहकों की पर्याप्त सूचना न
 - ज़मीनी स्तर पर एक नरीक्षण तंत्र का अभाव
 - स्थानीय केबल ऑपरेटरों (Local Cable Operators- LCO) के एक केंद्रीय डेटाबेस का अभाव।

खान

अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट पर मसौदा नियमों पर टिप्पणियाँ

खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट नियम, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं।

मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- ट्रस्ट का गवर्नेंस:** ट्रस्ट एक शासी निकाय द्वारा शासित होगा। एक कार्यकारी समिति ट्रस्ट के प्रशासन, प्रबंधन और पर्यवेक्षण के लिये ज़िम्मेदार होगी। केंद्र सरकार दोनों निकायों की संरचना को अधिसूचित करेगी।
- ट्रस्ट के तहत फंड:** एक अपतटीय क्षेत्र खनजि ट्रस्ट फंड स्थापित किया जाएगा और इसका प्रबंधन कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। फंड नॉन-लैप्सेबल और नॉन-इंटरेस्ट-बीयरिंग होगा। अपतटीय खदानों के लिये उत्पादन पट्टे के धारकों को इस ट्रस्ट में केंद्र सरकार को देय रॉयल्टी के 10% के बराबर राशिका भुगतान करना होगा।
- वार्षिक योजना:** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कार्यकारी समिति के सचिव द्वारा शासी निकाय के समक्ष एक वार्षिक योजना पेश की जाएगी। योजना में वर्ष के दौरान शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का विवरण शामिल होना चाहिये। इसमें ऐसी परियोजनाओं के लिये समयसीमा और माइलस्टॉस के साथ-साथ वर्ष के दौरान की गई गतिविधियाँ भी शामिल होनी चाहिये।

परविहन

राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन और रखरखाव पर रिपोर्ट

परविहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने 'राष्ट्रीय राजमार्गों का परिचालन एवं रखरखाव तथा टोल प्लाज़ा का प्रबंधन' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

समिति के मुख्य नष्कर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- नरिमाण में देरी और रखरखाव के लिये अपर्याप्त धनराशि:** समिति ने कहा कि सैकड़ों राजमार्गों का काम नरिधारित समय से पीछे चल रहा है, और नरिमाण प्रक्रिया में तेज़ी लाने का सुझाव दिया।
- मुद्रीकरण की धीमी गति: उसने सुझाव दिया कि NHA के बढ़ते करज से मुक्त होने के लिये मुद्रीकरण की गति बढ़ाई जानी चाहिये।
- समिति ने कहा कि हाइबरिड संरचनाएँ, जहाँ यातायात जोखिम प्राधिकरणों द्वारा साझा किया जाता है और रियायतग्राहियों/कन्सेशनेर को न्यूनतम भुगतान का आश्वासन दिया जाता है, मौजूदा चुनौतियों में से कुछ को कम कर सकती हैं।

जहाज़ नरिमाण उद्योगों की स्थिति पर रिपोर्ट

परविहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने 'देश में जहाज़ नरिमाण, जहाज़ मरम्मत और जहाज़ वधिवंस उद्योगों की स्थिति' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रमुख सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- वित्तीय सहायता नीति:** समिति ने कहा कि नीति के लिये बनाए गए 4,000 करोड़ रुपए के कोष में से केवल 6-7% का ही उपयोग किया गया है। समिति ने खराब योजना उपयोग के कारणों का मूल्यांकन करने का सुझाव दिया, तथा यह पता लगाने का भी सुझाव दिया कि क्या जहाज़ निर्माण के लिये उच्च सामग्री आयात और कम स्वचालन जैसे कारक भारतीय शिपयार्ड की प्रतस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर रहे हैं।
- जहाज़ निर्माण उद्योग का विकास:** जहाज़ निर्माण की उच्च लागत के कारण विश्व जहाज़ निर्माण उद्योग में भारत की हस्सेदारी लगभग 1% से 2% है। रंगराजन आयोग ने अवसंरचना के रूप में जहाज़ों और अन्य जहाज़ों के वर्गीकरण का सुझाव दिया था। वर्तमान में शिपयार्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है जो कम दरों पर दीर्घकालिक वित्तपोषण तक पहुँच प्रदान करेगा।
- समिति ने विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कार्यशील पूंजी एवं दीर्घकालिक वित्त तक पहुँच के लिये समुद्री विकास कोष बनाने के साथ-साथ सभी जहाज़ों और अन्य जहाज़ों को बुनियादी ढाँचे का दर्जा देने का प्रस्ताव दिया।

आवासन एवं शहरी मामले

स्मार्ट सटीज पर रपिर्ट

आवास और शहरी मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने "स्मार्ट सटीज मशिन: एक मूल्यांकन" पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की। समिति की रपिर्ट में नमिनलखिति सुझाव दिये गए हैं:

- विशेष प्रयोजन वाहन:** समिति ने कहा कि CEO का बार-बार स्थानांतरण और स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव SPV के सामने चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।
- उसने नमिनलखिति सुझाव दिये:
 - न्यूनतम नशिचति कार्यकाल वाले डेडकैटेड CEO की नियुक्ति।
 - SPV में विशेषज्ञों और संबंधित हतिधारकों का प्रतनिधित्व सुनिश्चित करना।
 - भविष्य की परियोजनाओं में SPV की मौजूदा विशेषज्ञता का उपयोग करना।
- सार्वजनिक नजिी भागीदारी:** समिति ने सुझाव दिया कि सरकार को न्यूनतम नजिी निवेश के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना चाहिये और इस संबंध में कदम उठाने चाहिये।
- डजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर संरक्षण:** समिति ने डजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर खतरों से बचाने और डेटा प्राइवैसी बनाए रखने के लिये एक तंत्र तैयार करने का सुझाव दिया।

ग्रामीण विकास

मनरेगा के कामकाज पर रपिर्ट

ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर स्थायी समिति ने "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण रोजगार-मजदूरी दरों तथा उससे संबंधित अन्य मामलों पर एक अंतरदृष्टि" पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।

समिति के मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- मजदूरी की दरों में संशोधन:** मनरेगा के तहत मजदूरी दरें 2010-11 को आधार वर्ष मानकर कृषि श्रम के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करके अधिसूचित की जाती हैं। ये दरें प्रत्येक वर्ष संशोधित की जाती हैं। समिति ने कहा कि 2010-11 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग करना वर्तमान मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत के साथ सुसंगत नहीं है।
- भुगतान में विलंब:** मनरेगा के अनुसार, मजदूरी का भुगतान मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिये। समिति ने गौर किया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वेतन और मैटीरियल को जारी करने में देरी हुई।
- बजटीय आवंटन में वित्तीय अंतराल:** समिति ने कहा कि कम बजटीय आवंटन के कारण मजदूरी और मैटीरियल को समय पर जारी करना मुश्किल होगा। उसने ग्रामीण विकास विभाग को पिछले वर्षों के व्यय के अनुरूप धन की मांग करने का सुझाव दिया।

जल संसाधन

दिल्ली में यमुना नदी सफाई परियोजनाओं की समीक्षा पर रपिर्ट

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने "दिल्ली तक ऊपरी यमुना नदी सफाई परियोजनाओं और दिल्ली में नदी तल प्रबंधन की समीक्षा" पर अपनी रपिर्ट प्रस्तुत की।

समिति के मुख्य सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- भूजल निकासी:** समिति ने सुझाव दिया कि कृषि क्षेत्र सूक्ष्म और ड्रिप सिंचाई तकनीकों को अपनाए जाने चाहिये तथा जल बजटिंग एवं वाटरशेड प्रबंधन का अभ्यास किया जाना चाहिये।

- **जल गुणवत्ता:** समिति ने कहा कि वर्ष 2021 और 2023 के बीच, 33 मॉनिटर किये गए स्थानों में से, 23 स्थानों में जल की गुणवत्ता बाहर स्नान के लिये प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों (PWQC) के अनुरूप नहीं है। घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर, जो जीवित रहने हेतु 5 मलीग्राम/लीटर से अधिक निर्धारित है, दिल्ली में लगभग न के बराबर पाया गया।
- **नदी तल प्रदूषण:** समिति ने कहा कि 2018 में यमुना में मलबे की डंपिंग का एक मामला था जो वर्ष 2021 में बढ़कर 610 हो गया। यमुना से तलछट के नमूनों में उच्च स्तर पर सीसा, ताँबा और जस्ता जैसी धातुएँ मली, जो स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/february-2024-prs>

